

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 मई 2013—वैशाख 25, शक 1935

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ-2-8-2012-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 56 में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता (धृति) जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए, रुपए 10.00”;

(दो) खण्ड (ग) के नीचे आने वाले पैरा में, शब्द “सर्वेक्षण संख्यांक” के स्थान पर, शब्द “वाजिब-उल-अर्ज या निस्तार पत्रक” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ-2-8-2012-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-8-2012-सात-शा-6, दिनांक 10 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2013

F. 2-8-2012-VII-Sec.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 256 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Revenue Records Rules, 1959, the same have been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 56,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) for every survey number of Eksala/ Panchsala Khasra or for every Khata (holding) Jamabandi, Record of Right, Khewat. Rs. 10.00”;

(ii) in para occurring below clause (c), for the words "survey number", the words "Wajib-ul-arz or Nistar Patrak" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.